समूह I–अनुमोदन एवं अनुशंसा हेतु मदें

एसी:08:01	**अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित घोषित किया जाना**

कार्यवृत्त

8.01.1 अध्यक्ष महोदय ने बैठक को व्यवस्थित घोषित किया।

एसी:08:02	**मृत्यु-सूचना संदर्भ**

कार्यसूची नोट

8.02.2 निम्नलिखित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना गहरे शोक के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया:

1. श्रीमती रोजबेल नामचू, □ालजोर नामग्याल गर्ल्स स्कूल के □ूर्व प्राचार्या एवं मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार के निदेशक के रू□ मेन सेवा निवृत।
2. श्री केबी छेत्री, □ूर्व अध्यक्ष,सिक्किम लोक सेवा आयोग एवं □ूर्व प्रबंध निदेशक,स्टेट बैंक औफ़ सिक्किम
3. श्रीमती हीरा देवी वाइबा लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित लोक गायिका
4. श्री के सुब्रमणियम, सुविख्यात सुरक्षा विशेषज्ञ
5. श्री भीम सेन जोशी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्लासिकल संगीतकार)

कार्यवृत्त

8.02.2 सदन ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना को संवेदना सहित नोट किया। दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान के रू□ में सदन ने दो मिनट का मौन रखा।

एसी:08:03	**कुलपति द्वारा कार्यनिष्पादन उल्लेख**

कार्यवृत्त

8.03.1 कुल□ति ने शैक्षणिक □रिषद की दिनांक 28.11.2010 को आयोजित गत बैठक के बाद विश्वविद्यालय की हुई विभिन्न गतिविधियों □र अ□ना प्रस्तुतीकरण एवं प्रेक्षण □ावर □ॉइंट के माध्यम से प्रस्तुत किया।

8.03.2 सदन ने रि□ोर्ट की प्रगति □र समग्र रू□ से संतोष व्यक्त किया तथा इन उ□लब्धियों के लिए कुल□ति को शुभकामना दी। ऐसा करते समय सममानीय सदस्यों ने निम्नलिखित प्रेक्षण एवं अभ्युक्तियाँ की।

8.03.3 <u>प्रो.वी.एस प्रसाद एवं प्रो. अतुल शर्मा</u> ने टिप्□णी की कि शरद क्षेत्र भ्रमण □र विभिन्न दलों के प्रस्तुतीकरण को विश्वविद्यालय के वैबसाइट □र रखा जाए। यह भी टिप्□णी की गई कि विश्वविद्यालय आंतरिक गुणता प्रबंधन □हलू □र और अधिक ध्यान दे।

8.03.4 <u>प्रो. वीएस प्रसाद</u> ने छात्र-□ाठ्यक्रम अनु□ात □र प्रेक्षण किया। उनहोंने उल्लेख किया था कि गुणता आश्वासन को एक नियंत्रण □द्धति के रू□ में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि यह गुणता के □रि□ोषन से संबन्धित है। उनहोंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय गुणता आश्वासन □द्धति लागू करके महाविद्यालयों की क्षमता निर्माण एवं निर्देशचिह्न बनाने में सहायता कर सकता है। स्व गुणता निर्धारण डेटा के विवेचनात्मक विश्लेषण साथ ही संस्थानों सर्वोतम कार्याभ्यासों के आरंभ द्वारा सहायक होगा। इसे प्राप्त करने के लिए,विश्वविद्यालय फीडबैक □द्धति आरंभ कर सकता है, जिसे क्रमशः संस्थानिक किया जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि आंतरिक गुणता आश्वासन गुयानता को उत्साहित करने के लिए है तथा विश्वविद्यालय को चाहिए कि महाविद्यालयों द्वारा ही गुणता का निर्णय हो। गुणता के नाम □र महाविद्यालय के स्वशासन व्यवस्था में विघ्न नहीं □ड़ना चाहिए। प्रथम चरण के रू□ में विश्वविद्यालय "निरीक्षण" शब्द के उ□योग को बंद करके इसके स्थान □र "मार्गदर्शन" का उ□योग किया जा सकता है। क्षेत्र भ्रमण आरंभ किए जाने के लिए उनहोंने विश्वविद्यालय को शुभकामना दी।

8.03.5 <u>प्रो.एम.के. दास</u> ने जानना चाहा कि आंतरिक गुणता प्रबंधन को कैसे व्याख्यायित किया जा सकता है, यदि यह नियंत्रण □द्धति नहीं है। इस□र प्रो.वीएस प्रसाद ने उल्लेख किया कि वास्तविक रू□ में इसके नियंत्रण □द्धति होने के वाबयुद भी यह आईक्यूएम में गुणता की प्रोन्नति के लिए मार्गदर्शन आदि शब्दों के अंगीकरण द्वारा एक मनोवैज्ञानिक मार्ग है।

8.03.6 <u>कुलपति</u> ने उल्लेख किया कि विशिष्ट सदस्यों के आईक्यूएम □र सुझावों एवं अभ्युक्तियों □र आईक्यूएम दल के साथ अंगीकरण हेतु विचार विमर्श किया जाएगा।

8.03.7 <u>प्रो.अतुल शर्मा</u> ने कुल□ति एवं उनके दल को विशेषकर रि□ोर्ट की गई विभिन्न उ□लब्धियों के लिए शुभकामना दी। उनहोंने कहा कि सिक्किम विश्वविद्यालय में देश भर के छात्र होते हैं, इसे उनके लाभ एवं जानकारी के लिए एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने □र विचार करना चाहिए। □ुसटकालय के संबंध में उनहोंने प्रेक्षण किया कि □ुस्तकालय के ई-संसाधन को और विकसित किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय को अ□ने □ुस्तकालय का अन्य विश्वविद्यालयों एवं आईआईटी सदृश संस्थानों के साथ भविष्य में नेटवर्किंग □र विचार करना चाहिए।

8.03.8 <u>प्रो.तीस्ता बागछि</u> ने सुझाव दिया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्रों की जागरूकता वार्षिक छात्र सम्मेलन का आयोजन एवं इनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे सम्मेलन, जैसे भाषाविज्ञान में, अन्य विश्वविद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं।

8.03.9 <u>प्रो.नीलिमा देशमुख</u> ने जानना चाहा कि विश्वविद्यालय ने सिविल सेवा □रीक्षाओं हेतु कोचिंग आरंभ करने के लिए कैसे योजना बनाई थी। कुल□ति ने स□ष्ट किया कि विश्वविद्यालय न सिर्फ सिविल सेवाओं बल्कि अन्य प्रतियोगी □रीक्षाओं के लिए भी योजना बना रहा है।

8.03.10 <u>डा.जीएस योञ्जोन</u> ने कहा कि शिक्षण एक काला है तथा यह छात्र समुदाय से संचार कायम करने के बारे में है। अतः विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण के विभिन्न □हलुओं □र अभिमुखीकरण कार्यक्रम दिया जाना चाहिए। उनहोंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय दो शिक्षक प्रणाली लागू करने □र विचार करे, जिसमें प्रत्येक वर्ग दो शिक्षकों द्वारा अंशतः सम्हाला जाएगा तथा शिक्षण प्रविधि में हंगामादार-सत्र भी शामिल हों। इन सभी के लिए छात्रों का अभिमुखीकरण अवश्य होना चाहिए।

8.03.11 <u>प्रो.नीलिमा देशमुख</u> ने वर्ग-शिक्षण के बारे में छात्रों की प्रतिकृया जाननी चाही। इस प्रश्न □र कुल□ति ने उल्लेख किया कि प्रतिकृया बहुत ही सकारात्मक हैं तथा विश्वविद्यालय ने कक्षा के बाहर एवं भीतर दोनों तरह से जांच की है।

8.03.12 विचार विमर्श का समाहार करते हुए, **<u>कुलपति</u>** ने सम्मानित सदस्यों का उनके बहुमूल्य अवदानों के लिए धन्यवाद किया तथा सदन को आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय उनमें से प्रत्येक □र अंगीकार हेतु विचार करेगा।

एसी:08:04	**शैक्षणिक परिषद की दिनांक 28.11.2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

<u>कार्यवृत्त</u>

8.04.1 सदन ने दिनांक 28.11.2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त □र विचार किया तथा कार्यसूची के साथ **अनुलग्नक एसी 8-01** के रू□ में यथासंलग्न □ुष्टि की।

एसी:08:05	**शैक्षणिक परिषद की दिनांक 28.11.2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ति कार्रवाई रिपोर्ट**

<u>कार्यवृत्त</u>

8.05.1 सदन ने दिनांक 28.11.2010 को आयोजित □िछली बैठक के कार्यवृत्त □र अनुवर्ति कार्रवाई रि□ोर्ट □र विचार किया तथा कार्यसूची के साथ **अनुलग्नक एसी 8-02** के रू□ मे यथा संलग्न □ुष्टि की।

एसी:08:06	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन- "अनुचित साधनों" से संबन्धित खंड

कार्यवृत्त

8.06.1 सदन ने कार्यसूची □र विचार किया तथा इस□र कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशासा किया।

एसी:08:07	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन- सेमेस्टर अंतराल से संबन्धित खंड

कार्यवृत्त

8.07.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विस्तृत विचार विमर्श किया। प्रो.वीएस प्रसाद ने सुझाव दिया कि सामान्यतः सेमेस्टर अंतराल के मामले में सामान्य समयावधि के तीन गुना का सिद्धान्त का अन्य संस्थानों में "सेमेस्टर सीमा की अधिकतम अवधि" के रू□ में अनुसरण किया जाता है। सिक्किम विश्वविद्यालय भी इस□र विचार कर सकता है तथा सभी मामलों में 10 वर्षों की अधिकतम अवधि उ□लब्ध करवाने के बदले में इसके अनु□ालन को अंगीकृत कर सकता है। प्रो.इफ़्तेखर अहमद ने भी उल्लेख किया कि यदि इतनी लंबी अवधि हुई तो विश्वविद्यालय इन छात्रों कि खोज रख □ाने में कठिनाई का सामना कर सकता है।

8.07.2 अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सदन के इन सुझावों □र विचार किया जाएगा। तत□श्चात, सदन ने संशोधन की कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की।

एसी:08:08	परीक्षा पर अध्यादेश- शून्य सेमेस्टर से संबन्धित खंड के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

8.08.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विचार किया तथा संशोधन की कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की।

एसी:08:09	परीक्षा पर अध्यादेश- मूल्यांकन पैटर्न से संबन्धित खंड के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

8.09.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विचार किया तथा संशोधन की कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की।

8.09.2 कार्यसूची र विचार के दौरान, प्रो.अतुल शर्मा ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों के साथ अन्तरक्रिया हेतु द्धति को तिमाही बनाकर औचारिक कर देना चाहिए। यह समस्याओं को समझने एवं रे एक वर्ष के र्ण होने का इंतजार करने की अेक्षा इसे आवधिक रू से नि टाने में मदद करेगा। अध्यक्ष इस सुझाव के अनुालन हेतु विचार किए जाने र सहमत हुए।

एसी:08:10	**परीक्षा पर अध्यादेश- 2010-12 से प्रवृत्त होने वाले नए पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णता अनिवार्यताओं से संबन्धित खंड के प्रति संशोधन**

कार्यवृत्त

8.10.1 सदन ने कार्यसूची मद र विचार किया तथा इसर विस्तार से चर्चा की। प्रो.वीएस प्रसाद ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय सामान्य ाठ्यक्रमों के लिए उत्तीर्णता प्रतिशत में विषय-वार 30 से 35 तक एवं र्णयोग में 35 से 40 तक की वृद्धि करने र विचार करे, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उाधियाँ अन्य समकक्ष द्वारा दिए गए के समतुल्य होंगी। यह कहा गया कि इसके द्वारा सामान्य एवं समान दोनों ाठ्यक्रमों के लिए उत्तीर्णता प्रतिशत संरू रखा जाएगा। अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि इसर अनुालन हेतु विचार मौनसून 2011(जुलाई 2011) सत्र में नामांकित छात्रों के नए बैच के लिए किया जाएगा।

8.10.2 यह उल्लेख किया गया कि बीएड/एमएड के मामले में विश्वविद्यालय ने उत्तीर्णता प्रतिशत 35 प्रति विषय के रू में एवं र्णयोग में 40 रकहा है। प्रो. एमके दास ने इंगित किया कि एनसीटीई मानदंड के अनुसार, कोई अभ्यर्थी नियमित शिक्षण दों र आवेदन करने के योग्य है, यदि उनहोंने सिर्फ र्णयोग में 45% प्राप्त किया है। इसर प्रो.वीएस प्रसाद ने उल्लेख किया कि किसी ाठ्यक्रम के उत्तीर्ण करने में प्रतिशतता एवं किसी द र आवेदन करने करने की वांछित प्रतिशतता भिन्न हो सकती है, तथा इसर एक साथ विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

8.10.3 उरोक्त प्रेक्षणों के साथ, सदन ने संशोषण की कार्यकारी रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की।

एसी:08:11	रीक्षा र अध्यादेश - रिणामों में रिशोधन से संबन्धित खंड के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

8.11.1 सदन ने प्रस्तावित संशोधन र विचार किया तथा इसकी कार्यकारी रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की।

एसी:08:12	**परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन- अभ्यर्थियों का अंतर-महाविद्यालय अंतरण से संबन्धित खंड**

कार्यवृत्त

8.12.1 सदन ने कार्यसूची मद र सघन विचार किया तथा इसर विस्तार से चर्चा की। यह अभिमत था कि खंड 05-05 के अंतर्गत उखंड (ई) का, विकल आधारित क्रेडिट प्रणाली से संलग्न मुद्दे र विचार करते हुए नर्ड्राफ्ट किया जाये, साथ ही संशोधित प्रारू सदन के समक्ष अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

8.12.2 उरोक्त प्रेक्षणों के साथ सदन ने विश्वविद्यालय को कार्यकारी रिषद को सूचित करने का निर्देश दिया।

एसी:08:13	एमफिल/ ीएचडी र अध्यादेश

कार्यवृत्त

8.13.1 सदन ने कार्यसूची मद र विस्तृत रू से विचार विमर्श किया। प्रो.वीएस प्रसाद ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय अध्यादेश का मसौदा बनाते समय इस मुद्दे र यूजीसी विनियमावली र विचार करे। इसका समर्थन प्रो.इफ़्तेखर अहमद ने भी किया। सदन ने सुझाव दिया कि यह कार्यकारी रिषद के प्रति सिर्फ अध्यादेश के एमफिल अंश की ही अनुमोदनार्थ अनुशंसा कर सकता था, एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश के संशोधित प्रारू को आने वाली बैठक में विचारार्थ नः प्रस्तुत करे।

एसी:08:14	बीएससी- एमएससी भू-विज्ञान हेतु सिलेबस का अनुमोदन

कार्यवृत्त

8.14.1 सदन ने सीडीसी की रिोर्ट र विचार किया तथा शैक्षणिक सत्र 2011-12 से ाठ्यक्रम के आरंभ किए जाने के लिए कार्यकारी रिषद द्वारा सशर्त अनुमोदन हेतु अनुशंसा की। यह कहा गया कि विश्वविद्यालय संशोधन हेतु, यदि कोई हो, तो आगे इसकी समीक्षा करे तथा इसे सदन मेन कार्यकारी रिषद के प्रति अंतिम अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करे।

एसी:08:15	**बी म्यूजिक-एम म्यूजिक हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त

8.15.1 सदन ने सीडीसी की रि□ोर्ट □र विचार किया तथा शैक्षणिक सत्र 2011-12 से □ाठ्यक्रम के आरंभ किए जाने के लिए कार्यकारी □रिषद द्वारा सशर्त अनुमोदन हेतु अनुशंसा की। यह कहा गया कि विश्वविद्यालय संशोधन हेतु, यदि कोई हो, तो आगे इसकी समीक्षा करे तथा इसे सदन मेन कार्यकारी □रिषद के प्रति अंतिम अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करे।

एसी:08:16	**बीबीए-एमबीए हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त

8.16.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विस्तृत विचार-विमर्श किया। प्रो.जे□ी शर्मा ने उल्लेख किया कि ब्यवसाय विधि/ कं□नी विधि □र विनियामक □□रों सदृश कुछ महत्व□ूर्ण चीजें अविद्यमान हैं। यह भी देखा गया कि सीडीसी ने कार□ोरेट शासन □र □□र को ध्यान मेन नहीं लिया, जो कि बीबीए/एमबीए □ाठ्यक्रम के मामले मेन बहुत आवश्यक है। प्रो.इफ़्तेखर अहमद ने □ाया कि सिलेबस मेन मीडिया प्रबंधन □र एक □□र सम्मिलित होना चाहिए, जो कि एक उद्गामी वांछनीयता है। उनहोंने सुझाव दिया कि इस □□र की □ाठ्यक्रम अंतर्वस्तु के लिए विश्वविद्यालय मेसर्स मुद्रा कम्यूनिकेसंस से सं□र्क करे,जोकि मीडिया क्षेत्र मेन एक अग्रणी संस्था है।

8.16.2 अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि विशिष्ट सदस्यों के सुझावों को सीडीसी के समक्ष □ुनरावलोकन हेतु संदरवित किया जाएगा एवं तदनुसार इन्हें समाविष्ट किया जाएगा।

8.16.3 तत□श्चात, सदन ने शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से सिलेबस के लागू किए जाने □र कार्यकारी □रिषद के सशर्त अनुमोदन हेतु अनुशंसा प्रदान की।

एसी:08:17	**बीसीए-एमसीए हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त

8.17.1 सदन ने सीडीसी की रि□ोर्ट □र विचार किया तथा शैक्षणिक सत्र 2011-12 से □ाठ्यक्रम के आरंभ किए जाने के लिए कार्यकारी □रिषद द्वारा सशर्त अनुमोदन हेतु अनुशंसा की। यह कहा गया कि विश्वविद्यालय संशोधन हेतु, यदि कोई हो, तो आगे इसकी समीक्षा करे तथा इसे सदन मेन कार्यकारी □रिषद के प्रति अंतिम अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करे।

एसी:08:18	**नेपाली भाषा में एमए हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त

8.18.1 सदन ने सीडीसी की रि□ोर्ट □र विचार किया तथा शैक्षणिक सत्र 2011-12 से □ाठ्यक्रम के आरंभ किए जाने के लिए कार्यकारी □रिषद द्वारा सशर्त अनुमोदन हेतु अनुशंसा की। यह कहा गया कि विश्वविद्यालय संशोधन हेतु, यदि कोई हो, तो आगे इसकी समीक्षा करे तथा इसे सदन मेन कार्यकारी □रिषद के प्रति अंतिम अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करे।

एसी:08:19	**प्रजाति-वनस्पति विज्ञान एवं सामाजिक औषधि अध्ययनों में एमएससी हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त

8.19.1 सदन ने सीडीसी की रि□ोर्ट □र विचार किया तथा शैक्षणिक सत्र 2011-12 से □ाठ्यक्रम के आरंभ किए जाने के लिए कार्यकारी □रिषद द्वारा सशर्त अनुमोदन हेतु अनुशंसा की। यह कहा गया कि विश्वविद्यालय संशोधन हेतु, यदि कोई हो, तो आगे इसकी समीक्षा करे तथा इसे सदन मेन कार्यकारी □रिषद के प्रति अंतिम अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करे।

एसी:08:20	**भौतिक विज्ञानों मे एमफिल/पीएचडी हेतु सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त

08.20.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विस्तृत विचार-विमर्श किया। प्रो.जे□ी शर्मा ने प्रेक्षण किया कि यह प्रावधान है कि दो वर्षों का अनुभवप्राप्त शिक्षकगण (तदर्थ शिक्षकों सहित) सीधे □ीएचडी कर सकते हैं। प्रो.वीएस प्रसाद ने चेतावनी दी कि विश्वविद्यालय को सिलेबस निर्माण मेन यूजीसी विनियमावली के प्रावधानों □र विधिवत विचार करना चाहिए। प्रो.नीलिमा देशमुख ने कहा कि वर्तमान सिलेबस की डिजाइनिंग इस प्रकार की गई है कि यह एकीकृत प्रोग्रामों के लिए हो। इस बात □र विचार करते हुए कि □ीएचडी से संबन्धित सिलेबस के अंश का उ□रोक्त प्रेक्षणों एवं इस विषय □र यूजीसी मार्गदर्शनों के संदर्भ मेन □ुनर्निर्माण किया जा सकता है, सदन ने सिलेबस के सिर्फ एमफिल अंश हेतु कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की।

08.20.2 अध्यक्ष ने सदन को आश्वस्त किया कि विशिष्ट सदस्यों के प्रेक्षणों को सीडीसी के समक्ष सिलेबस को आगे सुधारने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, तथा इसे सदन की अगली बैठक मेन प्रस्तुत किया जाएगा।

एसी:08:21	**रेनौक सरकारी महाविद्यालय का निरीक्षण - स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त

8.21.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विचार किया। प्रथम दृष्टया सदन ने महाविद्यालयों के निरीक्षण □र रि□ोर्ट को "अ□ूर्णता रि□ोर्ट" के स्थान □र "स्थिति रि□ोर्ट" नाम देने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया। सुझाव □र सहमति बनी तथा इसे कार्यान्वित किया गया। विशिष्ट सदस्यगण प्रो. वीएस प्रसाद एवं प्रो.इफ़्तेखर अहमद ने सुझाव दिया जबकभी विश्वविद्यालय बृहत संख्या में अ□ूर्णता □रिलक्षित करे एवं संबन्धित महाविद्यालयों द्वारा उ□ेक्षित हों, तो विश्वविद्यालय "महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करने" की विधि का आश्रय ले सकता है, □रन्तु किसी विशिष्ट प्रोग्राम हेतु अनुमोदन □र रोक लगा सकता है, जिसमें अ□ूर्णताएँ दूर नहीं की गईं।

8.21.2 सदन ने अनुशंसा की कि कुल□ति स्थिति रि□ोर्ट को देखें एवं □ाठ्यक्रम(ओं) के लिए आवश्यक अनुमोदन/सशर्त संबद्धता प्रदान करें, बशर्ते कि महाविद्यालय द्वारा स्थिति रि□ोर्ट में दर्शाई गई अ□ूर्णताएँ दूर की गई/ शर्ते □ूरी की गई हों।

8.21.3 सदन ने विश्वविद्यालय को अ□नी कथित अनुशंसा को कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एसी:08:22	**पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय का निरीक्षण - स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त

8.22.1 सदनने अनुशंसा की कि कुल□ति स्थिति रि□ोर्ट को देखें एवं □ाठ्यक्रम(ओं) के लिए आवश्यक अनुमोदन/सशर्त संबद्धता प्रदान करें, बशर्ते कि महाविद्यालय द्वारा स्थिति रि□ोर्ट में दर्शाई गई अ□ूर्णताएँ दूर की गई/ शर्ते □ूरी की गई हों।

8.22.2 सदन ने विश्वविद्यालय को अ□नी कथित अनुशंसा कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एसी:08:23	**सरकारी बीएड महाविद्यालय का निरीक्षण - स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त

8.23.1 सदनने अनुशंसा की कि कुल□ति स्थिति रि□ोर्ट को देखें एवं □ाठ्यक्रम(ओं) के लिए आवश्यक अनुमोदन/सशर्त संबद्धता प्रदान करें, बशर्ते कि महाविद्यालय द्वारा स्थिति रि□ोर्ट में दर्शाई गई अ□ूर्णताएँ दूर की गई/ शर्ते □ूरी की गई हों।

8.23.2 सदन ने विश्वविद्यालय को अ□नी कथित अनुशंसा को कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एसी:08:24	**डंबर सिंह महाविद्यालय का निरीक्षण - स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त

8.24.1 सदनने अनुशंसा की कि कुल□ति स्थिति रि□ोर्ट को देखें एवं □ाठ्यक्रम(ओं) के लिए आवश्यक अनुमोदन/सशर्त संबद्धता प्रदान करें, बशर्ते कि महाविद्यालय द्वारा स्थिति रि□ोर्ट में दर्शाई गई अ□ूर्णताएँ दूर की गई/ शर्ते □ूरी की गई हों।

8.24.2 सदन ने विश्वविद्यालय को अ□नी कथित अनुशंसा को कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एसी:08:25	नामची सरकारी महाविद्यालय का निरीक्षण - स्थिति रि□ोर्ट

कार्यवृत्त

8.25.1 सदनने अनुशंसा की कि कुल□ति स्थिति रि□ोर्ट को देखें एवं □ाठ्यक्रम(ओं) के लिए आवश्यक अनुमोदन/सशर्त संबद्धता प्रदान करें, बशर्ते कि महाविद्यालय द्वारा स्थिति रि□ोर्ट में दर्शाई गई अ□ूर्णताएँ दूर की गई/ शर्ते □ूरी की गई हों।

8.25.2 सदन ने विश्वविद्यालय को अ□नी कथित अनुशंसा को कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एसी:08:26	**वर्ष 2011-12 के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान किया जाना**

कार्यवृत्त

8.26.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विचार किया एवं कुल□ति को वर्ष 2011-12 के लिए महाविद्यालयों को अस्थाई संबद्धता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया, बशर्ते की सभी निर्धारित शर्तें एवं अन्य जैसा की वे उचित समझें, महाविद्यालय द्वारा □ूर्ण की गई हों।

8.26.2 सदन ने विश्वविद्यालय को अ□नी कथित अनुशंसा को कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

एसी:08:27	**हर्कमाया महाविद्यालय की नामांकन क्षमता में वृद्धि- एमएड पाठ्यक्रम**

कार्यवृत्त

8.27.1 सदन ने कार्यसूची र सघन विचार किया तथा इसर विस्तृत चर्चा की। प्रो.अतुल शर्मा द्वारा यह प्रेक्षण किया गया जबतक किविनियामक निकाय, यथा एनसीटीई द्वारा अतिरिक्त नामांकन क्षमता हेतु अनुमोदन प्रदान किया है, इसे रोकने मेन विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत ही सीमित है। इसी समय यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय एनसीटीई के प्रति इसके द्वारा महाविद्यालय मेन ाई गई अूर्णताओं का उल्लेख करते हुए साथ ही यह दर्शाते हुए कि एनसीटीई द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त नामांकन क्षमता महाविद्यालय के क्ष मेन किस प्रकार इन अूर्णताओं को बढ़ा सकती है, एक विस्तृत त्र लिख सकता है। इससे दायित्व एनसीटीई के ऊर होगा तथा भविष्य मेंऐसे अतिरिक्त नामांकन प्रदान करते समय इन्हें मार्गदर्शन दे।

8.27.2 अध्यक्ष ने सदन को आश्वस्त किया कि सदन के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा तथा एनसीटीई के साथ आवश्यक त्राचार किया जाएगा।

8.27.3 उरोक्त अनुशंसा के साथ, सदन ने इसे कार्यकारी रिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एसी:08:28	**एमफार्म. पाठ्यक्रम की नामांकन क्षमता में वृद्धि–हिमालियन फार्मेसी संस्थान**

कार्यवृत्त

8.28.1 इस मद को सदन के समक्ष विस्तृत रू से स्ष्ट किया गया। यह स्ष्ट किया गया कि महाविद्यालय ूर्व से ही कई अूर्णताओं से ग्रसित है, तथा इसे नामांकन क्षमता में वृद्धि की अनुमति देकर इनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणता साथ ही छात्र समुदाय को आगे प्रभावित करेगा। प्रो.वीएस प्रसाद ने प्रेक्षण किया कि रिषद ने विश्वविद्यालय की चिंताओं को समझा है। यह कहा गया कि विश्वविद्यालय का भी उन छात्रों के प्रति समान उत्तरदायित्व है, जो कि संबन्धित महाविद्यालय में ढ़ रहे हैं। प्रो.तीस्ता बागछि ने कहा कि प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा किन्हीं आवेदित नामांकन क्षमता में वृद्धि की अनुमति देते समय द्धतियों का उचित अनुसरण किया जाना चाहिए।

8.28.2 कार्यकारी रिषद की राय थी कि महाविद्यालय के क्ष में र्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर के आभाव में अतिरिक्त नामांकन क्षमता की अनुमति र विश्वविद्यालय को विचार नहीं करना चाहिए।

8.28.3 यह कहा गया कि शैक्षणिक रिषद का कथित मंतव्य विश्वविद्यालय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे।

एसी:08:29	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोन अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रति अनुशंसा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन**

कार्यवृत्त

8.29.1 इस मद को सदन द्वारा आगे मौखिक रू□ से स्□ष्ट किया गया। सदन ने कार्यसूची मद □र विस्तार से विचार भी किया। प्रो.एमके दास ने कहा कि विश्वविद्यालय इस विषय □र विस्तृत मार्गदर्शन का निर्माण करे तथा इसे शैक्षणिक □रिषद के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करे। कथित मार्गदर्शन का निर्माण इस विषय □र यूजीसी अनुदेशों एवं प्राप्त स्थानिक मुद्दों □र विधिवत विचार करते हुए किया जाए।

एसी:08:30	**विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रति मेधा आवार्ड प्रदान किया जाना**

कार्यवृत्त

8.30.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद □र विचार किया। डा. योंजोन ने दिए जाने वाले आवार्ड की प्रकृति के बारे में □छा, जिस □र अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि इस□र निर्णय किया जा रहा है। प्रो.अतुल शर्मा ने सुझाव दिया कि मेधावी आवार्ड दिए जाने के लिए विश्वविद्यालय छात्रों की फीडबैक प्रणाली के उ□योग □र विचार कर सकता है। प्रो.वाईडी प्रसाद ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय यूजीसी के कार्यनिष्□ादन मूल्यांकन मानदंडों □र विचार कर सकता है।

8.30.2 उ□रोक्त प्रेक्षणों के साथ, सदन ने कार्यसूची मद की कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की।

एसी:08:31	**जन संचार के विषयों में संकाय सदस्यों के चयन हेतु अर्हता की समीक्षा**

कार्यवृत्त

8.31.1 सदन ने प्रो.इफ़्तेखर अहमद द्वारा उठाए गए कार्यसूची मद □र विस्तृत चर्चा की। विचार विमर्श के □श्चात सदन ने इसे अंगीकृत किया एवं निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय कार्यसूची मद में निहित सुझाव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ जन-संचार विषय में संकाय सदस्यों के संबंध में विहित अर्हताओं में आवश्यक □रिवर्तन प्रभावी करने के लिए उठाए।

8.31.2 सदन ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि इस अनुशंसा को कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे।

एसी:08:32	**चाय प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम**

कार्यवृत्त

8.32.1 सदन ने कार्यसूची मद र विचार किया एवं कार्यकारी रिषद द्वारा इसके अनुमोदन हेतु अनुशंसा की। ऐसा करते समय प्रो.अतुल शर्मा ने ूछा कि क्या कथित ाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा एक संध्या ाठ्यक्रम के रू में आरंभ किया जा सकता है। इस र अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

8.32.2 उ रोक्त प्रेक्षण के साथ, सदन ने कार्यसूची मद की कार्यकारी रिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की।

समूह II–सं□ष्टि वांछित मदें

एसी:08:33	शून्य सेमेस्टर मामलों का अनुमोदन

कार्यवृत्त

8.33.1 सदन ने शून्य सेमेस्टर मामलों के कार्यसूची मद □र विचार किया तथा इस□र कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की।

एसी:08:34	सेमेस्टर अंतराल मामलों का अनुमोदन

कार्यवृत्त

8.34.1 सदन ने सेमेस्टर अंतराल मामलों के कार्यसूची मद □र विचार किया तथा इस□र कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की।

एसी:08:35	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय द्वारा संदर्भित अभिवृद्धि □□र मामले

कार्यवृत्त

8.35.1 सदन ने अभिवृद्धि □□र मामले के कार्यसूची मद □र विचार किया तथा इस□र विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की।

एसी:08:36	मूल्यांकन □ैटर्न से संबन्धित □रीक्षा □र अध्यादेश के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

8.36.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विचार किया तथा भविष्य की □रीक्षाओं में भी मूल्यांकन □ैटर्न से संबन्धित प्रावधानों की निरंतरता हेतु अ□नी कार्योत्तर अनुशंसा प्रदान की।

8.36.2 सदन ने तदनुसार विश्वविद्यालय को अ□नी अनुशंसाओं को कार्यकारी □रिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एसी:08:37	सरकारी महाविद्यालयों के परामर्श समितियों के प्रति विश्वविद्यालय नॉमिनी

कार्यवृत्त

8.37.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विचार किया तथा सरकारी महाविद्यालयों की □रामर्श समितियों के प्रति विश्वविद्यालय नॉमिनी के रू□ में अ□नी कार्योत्तर अनुशंसा प्रदान की।

एसी:08:38	निजी महाविद्यालयों के शासकीय निकायों के प्रति विश्वविद्यालय नॉमिनी

कार्यवृत्त

8.38.1 सदन ने कार्यसूची मद □र विचार किया तथा निजी महाविद्यालयों के शासकीय निकायों के प्रति विश्वविद्यालय नॉमिनी के रू□ में अ□नी कार्योत्तर अनुशंसा प्रदान की।

समूह III- मार्गदर्शन हेतु एवं सूचनार्थ प्रस्तुत की गई मदें

एसी:08:39	**विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय**

कार्यवृत्त

8.39.1 सदन ने कार्यसूची मद र सघन विचार एवं विस्तृत चर्चा किया। सदन ने इस मुद्दे र विश्वविद्यालय के समक्ष उ लब्ध सभी विकल्पों र विचार किया। प्रो.वीएस प्रसाद ने सुझाव दिया कि मुक़दमेबाज़ी की अ ेक्षा विश्वविद्यालय इस मुद्दे को ब्लिक डोमेन में विचार विमर्श हेतु रखे, ताकि कभी कोई प्रस्ताव/समाधान प्राप्त हो सके। चर्चा में आया आँय विकल था कि विश्वविद्यालय अ ना नाम " सिक्किम विश्वविद्यालय" से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रयुक्त नाम का अनुसरण करते हुए " सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय" में बदलने र विचार कर सकता है। यह भी विचार व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय इसे ुनः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ उठा सकता है कि राज्य अधिनियम[विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम,2008] किस प्रकार केंद्रीय अधिनियम[सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम,2006] का अतिलंघन कर सकता है, विशेषकर विश्वविद्यालय के नाम में साथ ही निजी विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता में, जोकि यूजीसी द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं है।

8.39.2 सदन ने अनुशंसा की कि शैक्षणिक रिषद के उक्त दृष्टिकोण को कार्यकारी रिषद के समक्ष किसी निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाए।

एसी:08:40	**सिक्किम विश्वविद्यालय का प्रथम लस्ट्रम**

कार्यवृत्त

8.40.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया।

एसी:08:41	**विभिन्न आगंतुक पदों की नियुक्ति एवं आमंत्रण-पत्र**

कार्यवृत्त

8.41.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया। अध्यक्ष ने विशिष्ट सदस्यों से विश्वविद्यालय के प्रति विभिन्न आगंतुक दों के लिए विचारार्थ नाम सुझाए जाने का अनुरोध किया जिसे सदन ने स्वीकार किया।

एसी:08:42	**नामांकन प्रक्रिया 2011-12**

कार्यवृत्त

8.42.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया।

एसी:08:43	**मौनसून 2010 परिणामों का विश्लेषण**

कार्यवृत्त

8.43.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत मौनसून 2010 □रिणामों के विश्लेषण को नोट किया।

एसी:08:44	**वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक रिपोर्ट**

कार्यवृत्त

8.44.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत वर्ष 2009-10 की वार्षिक रि□ोर्ट □र विचार किया तथा इसकी अंतर्वस्तु को नोट किया। सदन ने रि□ोर्ट की समृद्ध अंतर्वस्तु एवं डिजाइन के लिए अ□नी प्रशंसा अभिलेखित किया। अध्यक्ष ने विशिष्ट सदस्यों से भविष्य में रि□ोर्ट की गुणता में सुधार हेतु अ□ना बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया।

एसी:08:45	**वर्ष 2011-12 के लिए विश्वविद्यालय विवरणिका**

कार्यवृत्त

8.45.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के लिए विश्वविद्यालय विवरणिका □र विचार किया तथा इसकी अंतर्वस्तु की समग्रता एवं समृद्ध डिजाइन के लिए अ□नी प्रशंसा अभिलेखित किया।

एसी:08:46	**वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त

8.46.1 सदन ने कार्यसूची के प्रति **अनुलग्नक एसी 8-25** के रू□ में प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्था□ना □र प्रगति रि□ोर्ट □र विचार किया तथा **इसकी अंतर्वस्तु को नोट किया**।

एसी:08:47	संयोजकता की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट

कार्यवृत

8.47.1 सदन ने विश्वविद्यालय विभागों के बीच साथ ही बीएसएनएल के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच संयोजकता की स्था□ना □र प्रगति रि□ोर्ट को नोट किया। सदन को सूचित किया गया कि□ुस्तकालय के सभी शैक्षणिक विभागों में वाई-फाई सुविधाएं स्था□ित की गई हैं। अध्यक्ष ने सदन के समक्ष उन वाध्यताओं, जिन्हें विश्वविद्यालय ने बीएसएनएल के माध्यम से इन्टरनेट प्राप्त करने में झेला है, साथ ही दूर-सांचार के माननीय मंत्री के प्रति स्थिति की रि□ोर्टिंग सहित उनके द्वारा किए गए विभिन्न उ□ायों को सदन की जानकारी एवं नोटिंग हेतु स□ष्ट किया।

एसी:08:48	शिक्षण पदों पर नियमित आधार पर भर्ती

कार्यवृत

8.48.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया। अध्यक्ष ने सदन के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा नियमित आधार □र □दों को भरने में की गई कार्रवाई को स□ष्ट किया। उन्होंने विशिष्ट सदस्यों से शिक्षण □दों की भर्ती हेतु चयन समिति के प्रति स्वयं को उ□लब्ध करने का अनुरोध किया।

एसी:08:49	सिक्किम विश्वविद्यालय के लिए आईएसओ 9001 प्रमाणन

कार्यवृत

8.49.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद एवं विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

एसी:08:50	परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से पदत्याग- श्रीकांत महापात्र

कार्यवृत

8.50.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद के अंतर्वस्तु को नोट किया।

एसी:08:51	निजी महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति

कार्यवृत्त

8.51.1 सचिव द्वारा इस कार्यसूची मद को सदन के समक्ष विस्तार से स□ष्ट किया गया। यह भी स□ष्ट किया गया कि निजी महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य जैसे वरिष्ठ □दों □र नियुक्ति में कॉडल प्रावधानों का किस प्रकार क□टता□ूर्ण उ□योग किया जा रहा है। इस□र प्रो.वीएस प्रसाद ने प्रेक्षण किया कि विश्वविद्यालय को प्राचार्य की नियुक्ति हेतु मानदंड तैयार करना चाहिए तथा इसे संबन्धित महाविद्यालयों को सूचित करना चाहिए। इसी समय विश्वविद्यालय ऐसे मामलों में महाविद्यालयों की चिंताओं □र भी ध्यान दे। चूंकि विश्वविद्यालय अ□ने आरंभिक वर्षों में है, अतः इसे सुधारों के प्रति गति धीमी रखनी चाहिए तथा समग्र शैक्षिक विकास से अ□ने ध्यान को विचलित नहीं करना चाहिए।

8.51.2 अध्यक्ष ने सदन को आश्वस्त किया कि सम्मानित सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों का विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अनुसरण किया जाएगा।

एसी:08:52	पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय में छात्रों का नामांकन

कार्यवृत्त

8.52.1 सदन ने कार्यसूची मद की अंतर्वस्तु एवं की गई अभिलेखित कार्रवाई को नोट किया।

एसी:08:53	सिक्किम अर्ध-लंबी-दौड़ का आयोजन

कार्यवृत्त

8.53.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया।

एसी:08:54	खेल-कूद आयोजनों को प्रायोजित किया जाना

कार्यवृत्त

8.54.1 सदन ने कार्यसूची मद को सूचनार्थ नोट किया।

एसी:08:55	सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन

कार्यवृत

8.55.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया साथ ही प्रथम बार यूजीसी नेट रीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रशंसा भी की।

एसी:08:56	सम्बद्ध महाविद्यालयों के साथ तीसरा अंतरक्रियात्मक सत्र

कार्यवृत

8.56.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया तथा विश्वविद्यालय की इस दिशा में सतत प्रयास हेतु अनी प्रशंसा अभिलेखित किया।

एसी:08:57	यांगांग स्थित कैंपस विकास हेतु बोर्ड (बीसीडीवाई) का गठन

कार्यवृत

8.57.1 सदन ने कार्यसूची मद की अंतर्वस्तु को नोट किया। अध्यक्ष ने विशिष्ट सदस्यों से आर्किटेक्चर सहित कैंस विकास में विभिन्न मुद्दों र अना बहुमूल्य समय एवं सुझाव देने का अनुरोध किया, जिसे सदन ने स्वीकार किया।

एसी:08:58	सिक्किम विश्वविद्यालय का जर्नल

कार्यवृत

8.58.1 सदन ने कार्यसूची मद को सूचनार्थ नोट किया।

एसी:08:59	ड्यूटी आवंटन चार्ट

कार्यवृत

8.59.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद र विचार एवं इसकी अंतर्वस्तु को नोट किया।इसने विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण किए जा रहे नवाचार दृष्टिकोण के प्रति अत्यधिक प्रशन्नता अभिलेखित किया।

एसी:08:60	**कार्मिक सदस्यों के साथ पाक्षिक बैठकें**

कार्यवृत्त

8.60.1 सदन ने कार्यसूची मद की अंतर्वस्तु को नोट किया।

एसी:08:61	**पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति**

कार्यवृत्त

8.61.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को सूचनार्थ नोट किया।

एसी:08:62	**अगले शैक्षणिक परिषद की बैठक का आयोजन**

कार्यवृत्त

8.62.1 शैक्षणिक □रिषद की अगली बैठक मई, 2011 के अंत तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सटीक स्थान एवं तारीख की सूचना सम्मानित सदस्यों को अलग से दी जाएगी।

एसी:08:63	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त

8.63.1 अध्यक्ष ने सदन से विश्वविद्यालय के लिए आंतरिक गुणता प्रबंधन □र एक समिति गठित करने का अनुरोध किया। तदनुसार यह सुझाव दिया गया कि समिति में निम्नलिखित सदस्यगण होंगे:

क्र.सं.	नाम	समिति में स्थिति
1.	प्रो.वीएस प्रसाद	अध्यक्ष
2.	प्रो.जे□ी शर्मा	सदस्य
3.	प्रो.एमके दास	सदस्य
4.	प्रो.नीलिमा देशमुख	सदस्य
5.	डा.योञ्जोन	सदस्य

समिति के लिए कार्य क्षेत्र को अंतिम रू□ एवं इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।

कोई अन्य मद नहीं होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञा□न के बाद बैठक समाप्त हुई।

हस्ता.

(□ीवी रवि)

वित्त अधिकारी,

प्रभारी सचिव, शैक्षणिक □रिषद